FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0173 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/06/2026 12:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/02/2019 **Date To (दिनांक तक):** 22/07/2019
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 23:59 बजे **Time To (समय तक):** 17:52 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/06/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/06/2026 12:12:57 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 26 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** KARAYAL NAGAR PALIKA PINDAWARA, JILA SIROHI

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMESHWAR LAL

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 10/01/1971 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Plot no 63, Mcorp vinayakiya Road, Near Inadana Hotal, KHASRA No1872/632, Park residency colony, RATANADA, JODHPUR CITY EAST, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Plot no 63, Mcorp vinayakiya Road, Near Inadana Hotal, KHASRA No1872/632, Park residency colony, RATANADA, JODHPUR CITY EAST, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NEERAJ KUMARI		पत्नी:RANDHEER SINGH	1. DHOOLWA,BUHANA,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA
2	SEEMA AND OTHERS		पत्नी:RAMESH KUMAR BHATIYA	1. LAKHARON KI GALI PINDAWARA,SIROHI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		18,83,700.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 18,83,700.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात इस प्रकार से निवेदन है कि परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र धनराज, जाति जैन, निवासी हवाला गली सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान) द्वारा एक लिखित शिकायत ब्यूरो मुख्यालय जयपुर प्रेषित की गई. जहां ब्यूरो मुख्यालय द्वारा आर. नम्बर 8380 दिनांक 15.11.2024 दर्ज कर शिकायत में अंकित आरोपों के आधार पर अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पिण्डवाडा के विरूद्ध ब्यूरो मुख्यालय द्वारा निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत शान विभाग, राजस्थान जयपुर से धारा 17-ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत अनुमोदन प्राप्त कर शिकायत में वर्णित आंरोपिगण के विरूद्ध प्राथमिक जांच संख्या 59/2024 दिनां 16.012.2024 दर्ज करवाई जाकर दौराने जांच आरोपियान् नगर पालिका पिण्डवाड़ा की तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्रीमती नीरज कुमारी एवं अध्यक्षा श्रीमती सीमा भाटीया को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। आरोपीगण का प्रत्युत्तर तर्कसंगत एवं उचित नहीं होने से शिकायत में वर्णित ट्यूबलर पोलों से संबन्धित निविदा पत्रावली से संबन्धित दस्तावेजात् नगर पालिका पिण्डवाड़ा से प्राप्त कर अधीक्षण अभियंता विद्युत वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर से पत्राचार कर आरोपीगण द्वारा नगर पालिका पिण्डवाड़ा द्वारा कस्बा पिण्डवाड़ा की आमली रोड़ के मध्य लगवाये गये 7.5 मीटर एम.एस. ट्यूबलर पोलों का भौतिक सत्यापन करवाकर बीएसआर दर प्राप्त की गई। जिसमें अधीक्षण अभियंता, विद्युत वृत, सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर द्वारा 7.5 मीटर एम.एस. ट्यूबलर पोल की लागत वर्तमान में प्रचलित पीडब्ल्यूडी की बीएसआर 2022 के अनुसार दस प्रतिशत कम या अधिक के साथ 13,102 रूपये बताई गई। जो कि नगर पालिका पिण्डवाड़ा द्वारा किये गये भुगतान 59,800 रूपये के मुकाबले से कई गुणा कम है। अर्थात् नगर पालिका पिण्डवाड़ा द्वारा प्रचलित बीएसआर दर 2022 के लागत मूल्य से भी साढ़े चार गुणा से भी ज्यादा का अधिक भुगतान अवैध रूप से किया गया। दौरोने जांच परिवादी. श्री राजेन्द्र जैन द्वारा की गई शिकायत में वर्णित बिन्दुओं का सत्यापन के कम में नगर पालिका पिण्डवाड़ा से प्राप्त दस्तावेजात के अवलोकन से पाया गया कि नगर पालिका पिण्डवाड़ा के तत्कालीन भण्डार प्रभारी श्री भंवरलाल सैन (वरिष्ठ सहायक) द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष के मौखिक आदेशों की पालना में एवं पूर्व में पालिका मण्डल की बैठक में उक्त कार्य बाबत् प्रस्ताव पारित हो चुका है कि टिप्पणी अंकित करते हुए 7.50 मीटर के ट्यूबलर लाईट पोल क्रय करने की पत्रावली तैयार करीब 35 ट्यूबलर पोलों की आवश्यकता की टिप्पणी भी अंकित की गई। जिस पर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की व्यय रिपोर्ट मांगी गई। जिस पर तत्कालीन भण्डार प्रभारी द्वारा स्वयं के स्तर पर जैम पोर्टल पर सामग्री कय करने का अनुमानित व्यय 22.00 लाख रूपये तक की संभावना की टिप्पणी अंकित की। तत्पश्चात् अधिशाषी अधिकारी द्वारा लेखा शाखा से मद सहित रिपोर्ट, चाही जाने पर लेखा शाखा के श्री करण सिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा केवल 320-20-09 के 14 वें वित्त आयोग मद की सिफारिशों के तहत प्राप्त अनुदान से उक्त सामग्री क्रय की जाने की मद संबन्धी टिप्पणी की गई। जिस पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा उक्त सामग्री क्रय की जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु पत्रावली अध्यक्ष को भिजवाई गई। जिस पर तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती सीमा भाटीया द्वारा उक्त 35 ट्यूबलर पोलों को खरीदने के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके कार्यादेश के अवलोकन उपरांत श्रीमती नीरज कुमारी द्वारा अनुमोदन कर अपने हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली में जेम पोर्टल पर प्रोक्योरमेन्ट की प्रक्रिया के तहत बिड आमन्त्रण की सूचना- राजस्थान, राज्य सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर अपलोड किये जाने की प्रक्रिया का नगर पालिका पिण्डवाड़ा द्वारा पालना नहीं की गई। राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम. 2013 के नियम 11 का उल्लंघन कर उक्त सामग्री के क्रय करने में नगर पालिका पिण्डवाडा द्वारा तकनिकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। जेम पोर्टल संबधित वित्त (ए.पी.ए.सी.) विभाग के परिपत्र संख्या 2/2017 दिनांक 01.05.2017 के बिन्दु संख्या 04 के अनसार जेम पोर्टल उपापन हेतु उपापन समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है

जिसमें उपापन संस्था का प्रमुख अथवा उसके द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी व 02 उपापन संस्था के लेखाधिकारी/लेखा कर्मचारी होंगे। यदि आवश्यक हो तो उपापन की विषय वस्तु के विशेषज्ञ के तौर पर एक तकनिकी अधिकारी का होना अनिवार्य है। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा उक्त 35 ट्यूबलर पोलों के क्रय करने में किसी भी उपापन कमेटी का गठन नहीं किया गया जबकि खरीद की जाने वाली सामग्री की दर का अनुमोदन करने की शक्ति उपापन कमेटी को प्रदान की हुई है । उपापन कमेटी का गठन नहीं होने के कारण दर स्वीकृत करने में उपापन संस्था के विरूद्ध कोई दायित्व उत्पन्न होता है या हानि कारित होती है तो उसका दायित्व उपापन संस्था के अधिकारी/कर्मचारी का होता है। नगर पालिका कार्यालय पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही द्वारा दिनांक 19.02.2019 को 7.50 मीटर के ट्यूबलर लाईट पोल कय. करने के लिए एक पत्रावली संधारित की गई, जिसमें कार्यालय टिप्पणी के शुरूआती दो पृष्ठ कम्प्यूटर टाईपशुदा व अन्य शेष पृष्ठ एक ही प्रकार के हस्तलेख से लिखे हुए है जिन पर नगर पालिका पिण्डवाड़ा के भण्डार प्रभारी, लेखाशाखा प्रभारी, अध्यक्षा एवं अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। जो कि प्रथम दृष्ट्या जल्दबाजी में मिथ्या रिकोर्ड संधारण किया जाना प्रतीत होता है। नगर पालिका पिण्डवाडा में 35 एमएस ट्युबलर पोलों की आवश्यकता होने का हवाला देकर भण्डार प्रभारी श्री भंवरलाल सैन (वरिष्ठ सहायक) द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष के मौखिक आदेशों की पालना में एक पत्रावली का संधारण किया गया। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की व्यय रिपोर्ट मांगी गई। जिस पर तत्कालीन भण्डार प्रभारी द्वारा स्वयं के स्तर पर जैम पोर्टल पर सामग्री कय करने का अनुमानित व्यय 22.00 लाख रूपये तक की संभावना की टिप्पणी अंकित की। तत्पश्चात् अधिशाषी अधिकारी द्वारा लेखा शाखा से मद सहित रिपोर्ट मांगी गई। जिस पर नगर पालिका पिण्डवाड़ा की लेखा शाखा के श्री करण सिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा केवल 320-20-09 के 14 वें वित्त आयोग मद की सिफारिशों के तहत प्राप्त अनुदान से उक्त सामग्री क्रय की जाने की मद संबन्धी टिप्पणी की गई। जिस पर नगर पालिका पिण्डवाड़ा की तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती सीमा भाटीया द्वारा उक्त 35 ट्यूबलर पोलों को खरीदने के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई एवं उक्त सामग्री के कय करने के कार्यादेश का अनुमोदन तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्रीमती नीरज कुमारी द्वारा किया गया। नगर पालिका पिण्डवाड़ा की तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्रीमती नीरज कुमारी के जेम पोर्टल पर जनित सैंक्शन आदेश नंबर 151687751616541 दिनांक 20.02.2019 के अनुसार आई. एस. 2713 (1980) पार्ट प्रथम पार्ट द्वितीय दर्जे की गुणवत्ता के इलेक्ट्रीकल ट्यूबलर पोल 7.5 मीटर (410 एस.पी.-4) गुणवत्ता के कुल 35 ट्यूबलर पोलों की 59800/- रूपये प्रति पोल की दर से कुल 35 पोल 20,93,000 रूपये कार्यादेश में संबन्धित तत्कालीन भण्डारपाल द्वारा तैयार कर अधिशाषी अधिकारी के समक्ष पेश किया जिसका अनुमोदन श्रीमती नीरज कुमारी अधिशाषी अधिकारी द्वारा किया गया। उक्त गुणवत्ता के ट्यूबलर ट्यूबलर पर पोलों की वर्ष 2019 की राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग की बीएसआर दर उपलब्ध नहीं होने से इससे पूर्व वर्ष 2013 की बीएसआर दर का अवलोकन किया तो 7.5 मीटर के एक ट्यूबलर पोल की दर 6408 रूपये पाई गई। उक्त सामग्री के क्रय करने में वर्ष 2013 से 2019 तक कितनी भी वृद्धि हो जाये तो भी एक पोल की दर में आठ गुणा से अधिक की वृद्धि होना नामुमकीन है। उक्त सामग्री नोन बीएसआर दर की होने से स्थानीय नगरीय निकाय एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा प्राधिकृत तकनिकी अधिकारी से तकनिकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, जो नगर पालिका पिण्डवाडा द्वारा प्राप्त नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि नगर पालिका पिण्डवाड़ा की तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्रीमती नीरज कुमारी द्वारा नियमों की जानकारी होते हुए भी उक्त पोलों के क्रय करने की प्रक्रिया में उपापन नियमों की पालना नहीं करते हुए उपापन कमेटी का गठन नहीं कर अपने स्तर पर खरीद कार्यादेश का अनुमोदन किया गया तथा निर्धारित मात्रा से कई गुणा अधिक की राशि का भुगतान निजी फर्म जीएस इन्टरप्राईजेज को किया जाकर राजकोष को आर्थिक हानि पहुंचाने का कृत्य कारित करना पाया गया। जब किसी भी सरकारी विभाग अथवा कार्यालय द्वारा सामग्री क्रय करने के लिए वित्त विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जैम पोर्टल (गोवर्नमेंट ई मार्केटपैलेस) के माध्यम से निविदा आमन्त्रित की जाती है, तो राष्ट्रीकृत समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन की आवश्यता नहीं रह जाती है। लेकिन जैम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित करने से पूर्व नगर पालिका पिण्डवाडा द्वारा एक उपापन कमेटी का गठन किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया तथा उक्त पोलों के खरीद की निविदा संबन्धित सूचना राजस्थान राज्य सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होता है, वह भी नगर पालिका पिण्डवाडा द्वारा नहीं की गई तथा न ही किसी प्रकार की तकनिकी स्वीकृति एवं उक्त पोलों की आवश्यकता के संबन्ध में सक्षम स्तर से नकनिकी नकमीना ही तैयार करवाया गया। नगर पालिका द्वारा अपने स्तर पर ही वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर बिना किसी सक्षम स्तर की स्वीकृति एवं लागत मूल्य ज्ञात किये ही अपने स्तर पर स्वेच्छा से ही बिल प्राप्त कर उसमें दर्शाई गई राशि के अनुसार वास्तविक लागत मूल्य से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया। जिसके लिए नगर पालिका पिण्डवाड़ा की तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्रीमती नीरज कुमारी एवं श्रीमती सीमा भाटिया तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष एवं भण्डारपाल श्री भंवर लाल सैन, वरिष्ठ सहायक और लेखाकर्मी श्री करण सिंह, कनिष्ठ सहायक पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं। नगर पालिका पिण्डवाडा द्वारा वर्ष 2019 में क्रय किये गये 7.5 मीटर ट्यूबलर पोलों के दौरान, राजस्थान सरकार के नगरीय निकायों के लिए आरयूआईडीपी 2017 की एसओआर प्रचलित एवं विधिमान्य थी, लेकिन नगर पालिका द्वास कय किये गये 7.5 मीटर के एम.एस. ट्यूबलर पोलों की स्पेशीफिकेशन की श्रेणी (410 एस.पी.-4) अंकित है, जो कि

आरयूआईडीपी एवं पीडब्ल्यूडी की बीएसआर दर में उपलब्ध नहीं थी। ऐसी स्थिति में नगर पालिका पिण्डवाड़ा की उपापन समिति द्वारा डीएलबी द्वारा प्राधिकृत अधिक्षण अभियंता स्तर के तकनिकी अधिकारी से शेड्यूल एच में नकनिकी स्वीकृति प्राप्त कर तदनुसार भुगतान प्रक्रिया की पालना की जानी चाहिए थी। लेकिन नगर पालिका पिण्डवाड़ा के लोकसेवकों द्वारा न ही राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं न ही रूडीप द्वारा विभिन्न विद्युत कार्यों के लिए आवश्यक आईटम के तकनिकी स्पेशीफिकेशन एवं प्रचलित बाजार दर अनुसार उस आईटम के सप्लाई इन्सटॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशंनिंग की लागत सभी कर एवं कॉन्ट्रेक्टर प्रोफिट सहित बैसिक शेड्यूल ऑफ रेट में उपलब्ध सामग्री को क्रय किया गया तथा न ही सक्षम स्तर से नकनिकी स्वीकृति प्राप्त की गई। इससे स्पष्ट है कि नगर पालिका पिण्डवाड़ा के लोकसेवकों के द्वारा प्राईवेट फर्म जीएस एन्टरप्राईजेज के साथ मिली भगत कर राजकोषीय धन को हानि पहुंचाकर निजी आर्थिक अभिलाभ प्राप्त किया गया। नगर पालिका पिण्डवाड़ा द्वारा 35 ट्यूबलर पोलों की खरीद हेतु ई-प्रोक पोर्टल पर निविदा आमन्त्रित नहीं कर जेम पोर्टल पर सीमित निविदा के मार्फत सामग्री क्रय की गई। जिसमें नगर पालिका पिण्डवाडा द्वारा राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के नियमों का उल्लंघन करते हुए मात्र तीन फर्मो से उपापन दर्शाया गया तथा बिड आमन्त्रण की सूचना राजस्थान राज्य सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर सूचना अपलोड नहीं की गई एवं उक्त सामग्री के खरीद हेतु बिड सिक्योरिटी/अमानत राशि जमा कराने की कार्यवाही भी नहीं अपनाई गई। जिससे स्पष्ट है कि जीएस एन्टरप्राईजेज नामक फर्म के मार्फत नगर पालिका पिण्डवाड़ा द्वारा अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग कर राजकोष को हानि पहुंचाई गई। नगर पालिका पिण्डवाडा द्वारा वर्ष 2019 में क्रय किये गये 35 एम.एस. ट्यूबलर पोलों की खरीद प्रकिया में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 का उल्लंघन किया जाना पाया गया है, जिसका उपरोक्त बिंदुओं में विस्तृत विवेचन किया गया है। नगर पालिका पिण्डवाडा जिला सिरोही की तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्रीमती नीरज कमारी एवं श्रीमती सीमा भाटिया द्वारा अपने पदीय कृतव्यों का दुरूपयोग करना पाया गया है। जिनके बैंक खातों में तत्समय हुए लेन-देन के संबन्ध में विस्तृत अनुसंधान अपेक्षित है। इस प्रकार प्राथमिक जांच में संकलित नगर पालिका पिण्डवाड़ा द्वारा 7.50 मीटर एम.एस. ट्यूब लाईट पोल कय करने के संबन्ध में नगर पालिका पिण्डवाड़ा द्वारा संधारित की गई पत्रावली मय कय की गई सामग्री की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जेईएम पोर्टल पर निविदा जारी करने के संबन्ध में परिपत्र एवं जीएस एन्टरप्राईजेज फर्म का बिल ईत्यादि दस्तावेजात सहित उक्त शिकायत की क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के निर्देशानुसार विभागीय समिति द्वारा की गई जांच की प्रमाणित प्रति के गहन अवलोकन से नगर पालिका पिण्डवाडा, जिला सिरोही के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, अध्यक्ष, भण्डारपाल, लेखाशाखा प्रभारी ईत्यादि लोकसेवकों द्वारा प्राईवेट फर्म जीएस एन्टरप्राईजेज प्लॉट नंबर 303 एफ-1, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर के साथ मिलीभगत कर अपने पदीय कृतव्यों का दुरूपयोग करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाकर निजी आर्थिक अभिलाभ प्राप्त कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित्त 2018) तथा भा.द.स. का अपराध कारित करना पाया गया है। अतः श्रीमती नीरज कुमारी पत्नी श्री रणधीर सिंह, जाति राजपूत, उम्र 45 वर्ष, निवासी धूलवाः पुलिस थाना बुहाना, जिला झुन्झुनू तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही हाल तहसीलदार तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर, श्रीमती सीमा पत्नी श्री रमेश कुमार भाटीया, जाति घांची, निवासी लखारों की गली, पिण्डवाड़ा. पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका पिण्डवाडा, जिला सिरोही एवं अन्य कार्मिकगण तथा फर्म जी.एस. एन्टरप्राईजेज के संचालक / ठेकेदार द्वारा आपसी मिली भगत कर एकराय होकर एम.एस. ट्यूबलर पोल को राष्ट्रकृत समाचार पत्र में प्रकाशन किये बिना निविदा आमन्त्रित कर बाजार मुल्य से अधिक मुल्य में खरीद किये जाने पर राज्य सरकार को कुल 18,83,700 रूपये की हानि पहुंचाना पाये जाने पर उनके विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 13 (1) ए, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता का प्रथम दृष्ट्या अपराध कारित करना पाये जाने से बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (रामेश्वर लाल) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामेश्वरलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)ए, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा 120बी भा.द.स. में आरोपीगण 1. श्रीमती नीरज कुमारी पत्नी श्री रणधीर सिंह, जाति राजपूत, उम्र 45 वर्ष, निवासी धूलवाः पुलिस थाना बुहाना, जिला झुन्झुनू तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही हाल तहसीलदार तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर, 2. श्रीमती सीमा पत्नी श्री रमेश कुमार भाटीया, जाति घांची, निवासी लखारों की गली, पिण्डवाड़ा. पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका पिण्डवाडा, जिला सिरोही एवं 3.अन्य कार्मिकगण तथा फर्म जी.एस. एन्टरप्राईजेज के संचालक / ठेकेदार के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मांगीलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 512 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1049-52 दिनांक

30.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः- 1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- अध्यक्ष राजस्व मण्डल, अजमेर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MANGI LAL RATHORE **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/06/2026 12:14:30

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1982				
2	Female	1980				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)